निडो होम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्ववर्ती एडलवेइस हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालयः टॉवर 3, विंग 'बी', कोहिनूर सिटी मॉल, कोहिनूर सिटी, किरोल रोड, कुर्ला (वेस्ट), मुंबई–400070

ई–नीलामी – सांविधिक 30 दिनी बिक्री नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा बिक्री एतद्द्वारा सर्व साधारण और विशेषकर कर्जदार और जमानती को सूचित किया जाता है कि नीचे दी गई तालिका में यथाउल्लिखित राशि का ऋण देयों की वसूली तक ब्याज सहित वसूली के लिए अधोल्लिखित संपत्ति **"जैसी है, जहाँ है" और "जैसी है, जो भी है"** आधार पर बिक्री की जायेगी। उक्त संपत्ति कर्जदार(ओं), सह–कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) द्वारा लिए गए ऋण के लिए **मेसर्स निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एडलवेइस हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड)** को बंधक है। प्रत्यामूत ऋणदाता का निम्नलिखित प्रत्यामूत परिसंपत्ति पर सांकेतिक कब्जा है।

क्र. सं.	कर्जदार(ओं), सह–कर्जदार(ओं) और जमानती(ओं) के नाम	वसूली की राशि	आरक्षित मूल्य और ईएमडी	नीलामी की तिथि व समय
1.	योगेश सोनी (कर्जदार) राम गोपाल (सह–कर्जदार)	एलएएन सं. LIND0HL0000032951 के तहत राशि **रु. 31,76,653.93/–** (रुपये इकत्तीस लाख छिहत्तर हजार छह सौ तिरपन और तिरानवे पैसा मात्र) और एलएएन सं. LIND0TU0000033027 के तहत राशि **रु. 19,42,329.69/–** (रुपये उन्नीस लाख बयालीस हजार तीन सौ उनतीस और उनहत्तर पैसा मात्र) कुल राशि दिनांक **27.06.2025** को **रु. 51,18,983.62/–** (रुपये इक्यावन लाख अठारह हजार नौ सौ तिरासी और बासठ पैसा मात्र) + इस पर आगे की ब्याज + विधिक व्यय	**रु. 1,10,40,000/–** (रुपये एक करोड़ दस लाख चालीस हजार मात्र) **धरोहर जमा राशिः– रु. 11,04,000/–** (रुपये ग्यारह लाख चार हजार मात्र)	**12.08.2025 को पूर्वा. 11 से दोपहर 12 के बीच (5 मिनट अवधि के असीमित विस्तारों के साथ)**
निरीक्षण की तिथि व समय : 07.07.2025 समय पूर्वा. 11.00 से अप. 3.00 के बीच			**सांकेतिक कब्जे की तारीखः 16.04.2025**	

प्रत्यामूत परिसंपत्ति का विवरणः प्लॉट/मकान नं. 554–ए, क्षेत्रफल माप 1500 वर्ग फुट और उस पर पूरा निर्माण, तुलसी नगर, ग्राम पिपलिया कुम्हार, इंदौर, तहसील एवं जिला इंदौर की सीमा (म.प्र.)। **उक्त फ्लैट की सीमा इस प्रकार हैं: पूर्वः** प्लॉट नं. 553–ए, **पश्चिमः** प्लॉट नं. 555–ए, **दक्षिणः** रोड, **उत्तरः** प्लॉट नं. 569–ए

नोटः 1. नीलामी बिक्री वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम ऑनलाइन आयोजित की जायेगी और केवल विधिमान्य ईमेल, आईडी प्रमाण, फोटो, पैन कार्ड रखने वाले और डिमांड ड्रॉफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस माध्यम से ईएमडी जमा करने वाले निविदाकार **"ऑनलाइन ई–नीलामी"** में भागीदारी के लिए पात्र होंगे।

2. इच्छुक निविदाकारों को **हितधारक का नामः निडो होम फाइनेंस लिमिटेड, बैंकः भारतीय स्टेट बैंक, खाता सं.: 65226845199 सरफासी–नीलामी, निडो होम फाइनेंस लिमिटेड, आईएफएससी कोडः** SBIN0001593 में डिमांड ड्रॉफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस माध्यम से अपनी ईएमडी जमा करनी होगी।

3. ऑनलाइन आवेदन निविदा फॉर्म ईएमडी के साथ जमा करने की अंतिम तिथि 11.08.2025 है।

4. बिक्री के विस्तृत निबंधन व शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें अथवा **श्री मौलिक श्रीमाली** को फोन नं. +91–6351896643/9173528727 पर कॉल करें, हेल्पलाइन ई–मेलः Support@auctiontiger.net

मोबाइल नं. 9558536976
दिनांकः 30.06.2025

इस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी
निडो होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्ववर्ती एडलवेइस हाऊसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

इंडियन बैंक

इंडियन बैंक Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

कोलुआकलां शाखा : भोपाल
जेके रोड, कोलुआ कलां, नरेला, भोपाल (म.प्र.)

ई-नीलामी विक्रय सूचना

परिशिष्ट – IV क [नियम 8(6) का परन्तुक देखें]

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के अन्तर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

आम जनता को साधारणतः एवं निम्न वर्णित ऋणियों / बंधककर्ताओं एवं जमानतदारों को विशेषतः सूचित किया जाता है कि निम्नवर्णित संपत्तियाँ **इंडियन बैंक (सुरक्षित लेनदार)** के पास बंधक है तथा **इंडियन बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** ले लिया गया है। निम्नवर्णित संपत्तियों का विक्रय निम्न वर्णित दिनांक को **इंडियन बैंक, कोलुआकलां नरेला (भोपाल) शाखा (सुरक्षित लेनदार)** के निम्न वर्णित बकाया राशि को ऋणियों / बंधककर्ताओं एवं जमानतदारों से वसूल करने हेतु ''जैसा है जहां है, जो है जैसा है'' एवं ''जो कुछ भी है'' के आधार पर किया जा रहा है।

शाखा/ऋणी/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम	चल/अचल संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना दिनांक / कब्जा दिनांक / बकाया राशि	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बिड वृद्धि राशि
ऋणी: **मेसर्स यूनिक ब्रेवेजेस डिस्ट्रीब्यूशन** (प्रोपराइटरशिप फर्म) प्रोपराइटर- श्री राजेश सुखरमानी पुत्र श्री चेतन सुखरमानी जमानतदार एवं बंधककर्ता- **श्रीमती प्रिया सुखरमानी पत्नि राजेश सुखरमानी**	**(Property ID: IDIB30168037888)** संपत्ति का समस्त भू भाग स्थित खसरा नं. 51/11/3 का भाग (पुराना रेवेन्यु सर्वे नं. 96/2) ग्राम-देहरीकलां, सिग्नेचर ग्रीन्स के पास, कोलार रोड, भोपाल क्षेत्रफल-5000 वर्गफिट चर्तुसीमाएं- पूर्व-रोड, पश्चिम- अन्य की जमीन, उत्तर-अन्य की जमीन, दक्षिण-अन्य की जमीन **भौतिक कब्जा**	15/05/2017 / 15/07/2017 दिनांक 23.06.2025 को ₹ 1,67,39,893/- + दिनांक 24.06.2025 से ब्याज एवं अन्य खर्चे	₹ 46,00,000/- / ₹ 4,60,000/- / ₹ 10,000/-

Bank Website : www.indianbank.in | E-auction website | Property Location

सम्पर्क : 1. श्री मनोहरलाल साहू फोनः 0755-2682974

ई–नीलामी की दिनांक एवं समय : 16/07/2025 को सायं 5.00 बजे तक ई–नीलामी प्लेटफार्म : http://BAANKNET.com पर संपन्न होगी।
निविदाकर्ता को सूचित किया जाता है वे ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने हेतु हमारे ई–नीलामी सर्विस प्रदाता **PSB alliance Pvt. Ltd.,** की वेबसाइट **http://BAANKNET.com** देखें। तकनीकी सहायता हेतु कृपया सम्पर्क करें **8291220220, email ID: support.ebkray@psballiance.com.**
इच्छुक निविदाकर्ता / क्रेता ई–नीलामी प्रक्रिया में ई–नीलामी सर्विस प्रदाता की वेबसाइट **http://BAANKNET.com** द्वारा भाग ले सकते है।
ई–नीलामी के इच्छुक भागीदार **http://BAANKNET.com** से विक्रय सूचना, ई–नीलामी की नियम एवं शर्ते नीलामी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ई–नीलामी के परिचालन भाग पर उपयोगकर्ता मेनुअल की प्रतियाँ निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।
निविदाकर्ताओं से निवेदन किया जाता है संपत्ति के बारे में जानकारी हेतु प्रोपर्टी आईडी नं. से वेबसाइट **http://BAANKNET.com** देखें।
दिनांक : 28.06.2025, स्थानः भोपाल

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

AUTHUM ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 707, रहेजा सेंटर, फ्री प्रेस जर्नल रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई–21, दूरभाषः (022) 6747 2117 फैक्सः (022) 6747 2118 ई–मेलः **info@authum.com**

कब्जा सूचना

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

यह कि दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर दिनांक 7 जून, 2019 के आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2018–19/203, डीबीआर संख्या बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018–19, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 3 मार्च, 2023 के आदेश और शेयरधारकों द्वारा 25 मार्च, 2023 को पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार, **रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल)** के अपने ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, **आरएचएफएल ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (इसके बाद 'आरसीएफएल' के रूप में संदर्भित)** को एक सतत बिक्री के माध्यम से अपना व्यवसाय हस्तांतरित करने के लिए समझौता किया है और जबकि कर्जदार के ऋण खाते (खातों) से संबंधित सभी अधिकार और देयताएं भी आरसीएफएल को हस्तांतरित कर दी गई हैं।

यह कि भारतीय रिजर्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा) निर्देश, 2019 के संदर्भ में आरसीएफएल के लिए 15 जनवरी, 2021 को **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना के कार्यान्वयन के अनुसरण में आरसीएफएल को **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** द्वारा अधिग्रहित किया गया था।

यह कि, इसके अलावा, माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, मुंबई पीठ ('एनसीएलटी') ने 10 **मई, 2024** के अपने आदेश के तहत आरसीएफएल के ऋण कारोबार को ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में डीमर्ज करने की व्यवस्था की योजना को मंजूरी दी है, जिसके मद्देनजर आरसीएफएल का ऋण कारोबार और उससे जुड़े अधिकार और हकदारी गोइंग कंसर्न के रूप में **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** को हस्तांतरित और निहित किए जाएंगे।

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 7 मार्च 2025 को एक मांग सूचना जारी कर **कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों): (1) श्री नवीन जैन और (2) सुश्री रीता जैन, से ऋण खाता संख्या RHAHBH0000017228 और RHATBH0000017233 के माध्यम से नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 33,23,312.14 [रुपये तैंतीस लाख तेईस हजार तीन सौ बारह और चौदह पैसे मात्र] ऋण समझौतों के विरुद्ध 27 फरवरी 2025** तक उक्त नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने को कहा।

कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने पर, एतद्द्वारा कर्जदारों/सह–कर्जदारों और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में **26.06.2025** को नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) को विशेष रूप से तथा आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन **ऋण खाता संख्या RHAHBH0000017228 और RHATBH0000017233 के विरुद्ध 19 जून, 2025 तक रु. 34,85,367.61/– [रुपये चौंतीस लाख पिचासी हजार तीन सौ सड़सठ और इकसठ पैसे मात्र]** के लिए संबंधित ऋण अनुबंध के विरुद्ध **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदार/ सह–कर्जदारों/ बंधककर्ता(ओं) का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय में सरफैसी अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

अचल संपत्ति का समस्त भाग, फ्लैट नंबर एस–3, द्वितीय तल पर, 665 वर्ग फीट या 61.80 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है, 'श्री अपार्टमेंट' के रूप में ज्ञात परिसर में, प्लॉट नंबर 102 पर निर्मित, खसरा नंबर 14,17/1, पी.एच. नंबर 43 का हिस्सा, स्वामी कुंज कॉलोनी, ग्राम कटारा (अमलता गृह निर्माण शाह संस्था मर्यादित भोपाल) तहसील हुजूर, जिला भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित. उपरोक्त संपत्ति इस प्रकार से सीमाबद्ध हैः – पूर्व में – कॉलोनी रोड उत्तर में: – फ्लैट नंबर एस –2, पश्चिम में – आम सीढ़ियाँ, दक्षिण में – प्लॉट नंबर 122

स्थानः इंदौर **अधिकृत प्राधिकारी**
दिनांकः 26/06/2025 **ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
किसी भी प्रश्न के लिए, कृपया **श्री रणजीत दुबे से संपर्क करें संपर्क नंबर 09324671175**
ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड; शाखा कार्यालयः – वाया माय ब्रांच सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वितीय तल, गुरु आर्केड, प्लॉट नंबर 153, रामगोपाल माहेश्वरी मार्ग, जोन–01 एमपी नगर, भोपाल–462011

शुभम हाउसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पो. कार्यालय – 425, उद्योग विहार फेज– IV, गुडगांव –122015 (हरियाणा) फोन– 0124–4212530/31/32
ईमेलः– customercare@shubham.co, बेवसाईट – www.shubham.co

अचल संपत्ति/(यों) की नीलामी सह विक्रय हेतु आम सूचना

नियम 8 (6) एवं परिशिष्ट -IV- ए के प्रावधानों के अनुसार अचल सपंत्तियों के विक्रय की आम सूचना
(सिक्योटराईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एक्ट 2002, के अंतर्गत)

जहाँ कही, अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड (यहाँ आगे कंपनी कहा जायेगा) के प्राधिकृत अधिकारी में से एक हैं। अधोहस्ताक्षरकर्ता शुभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस लिमिटेड के बतौर प्राधिकृत अधिकारी सिक्यूरीटाईजशेन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनेन्सियल एस्टेटस एंड इंफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इफोर्समेंट) नियम 2002 (अधिनियम) का नियम 9 के अनुपालन के साथ सिक्युरिटी इंट्रस्ट (इंफोर्समेंट) रूल्स, 2002 (नियम) नियम 9 में प्रदत्त शक्तियों को सपठित धारा 13 (2) के अंतर्गत नीचे संबंधित ऋणकर्ताओं जिनके नाम नीचे कॉलम (सी) में तिथि पर जो कॉलम (डी) में और चुकाये जाने वाली शेष राशि कॉलम (ई) में दर्शाई गई है, को प्रत्येक खातें में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान उपरोक्त सूचना की प्राप्ती दिनांक / सूचना की दिनांक से 60 दिवस में करने हेतु बुलाया गया था।

ऋणकर्ता/ओं राशि का भुगतान करने में असफल रहे है, इस एतद सूचना द्वारा ऋणकर्ता/ओं को एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रुप में यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने नियम की धारा 13(4) के साथ सपठित उपरोक्त नियम 9 के अंतर्गत उनको/उन्हे प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक खाते के समक्ष दर्शायी गयी दिनांक को नीचे कॉलम (एफ) में दर्शाई वर्णित सम्पत्ति/यों पर नीचे कॉलम (एच) दर्शाई तिथि को अधिग्रहण कर लिया है।

ऋणकर्ता को विशेष तौर पर एवं आम जनता को सामान्य तौर पर सावधान किया जाता है कि कॉलम (एफ) में दर्शाई संपत्तियों के साथ संव्यवहार न करें और इन संपत्तियो के साथ कोई भी व्यवहार कॉलम (जी) में दर्शाई राशि के लिए शूभम हाऊसिंग डेवलपमेंट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रभार के अंतर्गत होगा। अब, ऋणकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना भी दी जाती है कि प्रत्येक संपत्ति के लिये कॉलम (के) में दर्शाई तिथि, समय और स्थान पर संपत्तियों का विक्रय किया जायेगा।

स. क्र.	आवेदन संख्या	ऋणकर्ता का नाम एवं पता	धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना तिथि	मांग सूचना राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	वर्तमान देय राशि (24-06-2025 तक)	अधिग्रहण की तिथि	आरक्षित राशि (रु.)	ईएमडी (रु.) आरक्षित मूल्य का 10 %	नीलामी की तिथि,समय व स्थान
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)	(एच)	(आई)	(जे)	(के)
1	**OCMP230800 0005067732 & OCMP230800 0005068546**	**राजेश कुमार साहू, शीला साहू, बालकिशुन साहू** वार्ड नं. 05, टौरिया मोहल्ला रैदास मार्ग छतरपुर मध्य प्रदेश -471001	20-02-2025	₹ 8,83,746/- एवं ₹ 11,10,080/-	खसरा नंबर 49, वार्ड नंबर 05 सी वीर साबरकर वार्ड, रैदास मार्ग, तहसील जिला छतरपुर, छतरपुर मध्य प्रदेश - 471001	₹ 21,31,446/-	30-04-2025 (सांकेतिक आधिपत्य)	₹ 19,87,833/-	₹ 1,98,783-	**31-07-2025, को प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक** मकान नं.290/1 नया 615, तल मंजिल भवरतल गार्डन के पास, स्पंदन हास्पिटल के सामने, नेपियर टाऊन, जबलपुर म.प्र. - 482002
2	**OCMP230100 0005056920 एवं OCMP230100 0005056811**	**रजनीश लखेरे, ज्योति लखेरे** 471, सारनी मार्ग अन्य वार्ड नं. 09, झोन 01, छतरपुर (म.प्र.) - 471001	22-10-2024	₹ 8,03,658/- एवं ₹ 10,88,989/-	खसरा नं. 1870/2/4, प.ह.नं. 51, वार्ड नं. 09, विवेकानंद वार्ड, मौजा छतरपुर तहसील एवं जिला छतरपुर (म.प्र.)- 471001 स्थित संपत्ति	₹ 21,29,533/-	28-12-2024 (सांकेतिक आधिपत्य)	₹ 13,60,800/-	₹ 1,36,080/-	

नोट : कंपनी की जानकारी के अनुसार उपरोक्त संपत्तियों पर कोई भार नहीं हैं।
नीलामी सह विक्रय के लिए नियम व शर्तें - **आम नीलामी के लिए नियम व शर्तें :– बोली आमंत्रण द्वारा आम नीलामी की प्रक्रिया एवं नियम व शर्तें :**

1. **संपत्तियों का निरीक्षण हेतु दिनांक 16–07–2025 को प्रातः 10.00 बजे से सायं. 4.00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
2. विक्रय सरफेसी एक्ट/ रुल्स 2002 के और इच्छुक/भागीदार बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किये गये प्रस्ताव/बोली दस्तावेज के अनुसार यहाँ दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार उस पर कड़ाई से लागू शर्तों अनुसार होगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं द्वारा जमा किए गए प्रस्ताव/ निविदा प्रपत्र में दर्शाई गई नियम व शर्तों के अनुसार विक्रय होगा।
3. बोलीया एक मोहरबंद लिफाफे में जमा धरोहर राशि (ईएमडी) सहित अपने प्रस्ताव किसी अधिसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के द्वारा स्थानीय शुभम हाऊसिंग डेवलपमें ट फायनेंस कंपनी में भुगतान योग्य प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में जमा करें। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बोली आवेदन के साथ प्रस्तावित बोलीदाता को उसका/उसकी पहचान पत्र/केवाईसी मानदंड आवास का प्रमाण पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, निर्वाचन आयोग कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लायसेंस आदि की छायाप्रति संलग्न करना होगी एवं आय कर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की छायाप्रति अनिवार्य है।
4. **धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक 30–07–2025 को प्रातः 10.00 बजे से सायं. 4.00 बजे के मध्य किया जा सकता है।**
5. अंत में संपत्ति की दर्शाई आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय नहीं होगी।
6. विक्रय की तिथि पर सभी बोलियाँ खोली जायेगी संपत्ति दिये गये आरक्षित मूल्य से उच्चतम बोलीकर्ता को विक्रय की जायगी। यद्यपि उपस्थित बोलीकर्ता अपनी बोली बढ़ाने का अधिकार रखते हैं, न्यूनतम **रु.5000/–** (रुपये पाँच हजार मात्र) और उच्चतम प्रस्तावित मूल्य को कंपनी को स्वीकार करने का अधिकार है। सफल बोलीकर्ता/क्रेत द्वारा निर्धारित राशि (धरोहर राशि सहित) का 25% (पच्चीस प्रतिशत) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के तुरंत/उसी दिन या बोली समाप्त होते ही करनी होगी, जिसकी प्राप्ति पर विक्रय की पुष्टि होगी। समय में विस्तार का निवेदन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निमय व शर्तों के अंतर्गत उसके एकल निर्णय के अनुसार होगा। बोली समाप्त होने के तुरंत बाद उच्चतम बोलीकर्ता 25 प्रतिशत राशि जमा करने में असफल होता है तो तब उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं सम्पत्ति द्वितिय उच्चतम बोलीकर्ता को प्रस्तावित की जायेगी। सफल बोलीकर्ता/क्रेता द्वारा निलामी राशि का शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रय के संबंध में स्वीकार करने के पन्द्रह दिन के भीतर अथवा लिखित में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विस्तार की गई अवधि में जमा करनी होगी। शेष विक्रय राशि के भुगतान में चूक हाने पर निर्धारित अवधि में, जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी और सुरक्षित लेनदार पुन: बिक्री के लिए स्वतंत्र हो जायेगा तथा चूककर्ता क्रेता को क्रय के लिए पहले किये गए भुगतान के किसी भाग को जब्त तथा संपत्ति या उसके किसी अंश से संबंधित सभी दावे समाप्त समाप्त माने जाएगे।
7. क्रेता द्वारा सभी भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा **शुभम हाऊसिंग डेवलपमें ट फायनेंस कंपनी लिमिटेड** के पक्ष में करने होंगे।
8. विक्रय का क्रेता द्वारा पूर्ण भुगतान करने पर, कंपनी क्रेता के पक्ष में एक सेल सर्टिफिकेट जारी करेगी तथा संपत्ति का अधिग्रहण क्रेता को सौंपा देगी।
9. यहाँ दर्शाई अचल संपत्ति अधोस्ताक्षरकर्ता द्वारा पुष्टीकरण की तिथि के बाद आग द्वारा हानि या क्षय, चौरी या अन्य दुघर्टना, अन्य खतरे पूर्णरुपेश सफल क्रेता के एकल जोखीम पर होगी। सफल बोली दाता को उक्त बिक्री को किसी भी आधार पर रदद् करने का अधिकार नहीं होगा।
10. असफल बोलीकर्ताओं द्वारा धरोहर राशि के लिये जमा किये गये डिमांड/पे आर्डर वापस कर दिये जायें गे।
11. संपत्ति ''जहाँ है, जैसी है'' एवं'' जैसी है वैसी है एवं बिना किसी सहारे'' के आधार पर विक्रय होगी। कंपनी को उपरोक्त संपत्तियों पर किसी भार की जानकारी नहीं है।
12. सभी व्यय स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्ज, ट्रांसफल चार्ज अतिदेय सहित कोई अन्य बकाया क्रेता द्वारा भुगतान किया जाएगा।
13. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव या किसी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और कंपनी किसी या सभी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखते हैं।
14. बिक्री प्रक्रिया में बोलीकर्ताओं / प्रस्तावकर्ताओं या उनके प्रधिकृत प्रतिनिधियों के अतिरिक्त किसी अन्य को भागीदारी की अनुमति नहीं होगी।
15. उपरोक्त नीलामी प्रक्रिया में यदि सभी लागत, अधिभारों और कंपनी द्वारा किए सभी खर्चों सहित उपरोक्त ऋणकर्ता द्वारा, नीलामी की तय तिथि के किसी भी समय पूर्व सेक्शन 13(8) के अंतर्गत सम्पूर्ण राशि का भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाते हैं, तब संपत्ति विक्रय नहीं की जायेगी तथा भावी बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गई बोलीकंपनी के विरुद्ध बिना किसी देयता/दावे के वापस कर दी जायेगी।
16. यह सूचना उपरोक्त ऋणकर्ता के लिये सिक्योरिटी इंट्रेस्ट एनफोर्समें ट रुल्स 2002 के रुल 8(6) एवं परिशिष्ट IVA के अंतर्गत एक नोटिस है, ग्राहक के कॉलम सी एवं एफ में दर्शाये पते पर।
17. विस्तृत नियम व शर्तों के लिये कृपया सुरक्षित लेनदार की वेबसाईट अर्थात् **www.shubham.co** रेफर करें।
18. **अधिक जानकरी, स्पष्टीकरण या किसी सहायता के लिए प्राधिकृत अधिकारी – बृजेश शुक्ला मोबाईल नं. 9451139900 पर संपर्क कर सकते हैं।**

दिनांक : 28–06–2025
स्थान : गुड़गांव

प्राधिकृत अधिकारी
शुभम हाउसिंग डेवलपमेन्ट फायनेंस कम्पनी लिमिटेड

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard Insight Out

Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना

संदर्भ : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप–नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना यहां नीचे वर्णित इसकी संबंधित तिथियों को जारी की थी, जिसमें आप/निम्नवर्णित कर्जदारों से सूचना में वर्णित बकाया राशि संबंधित सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। आप/सभी कर्जदार, तथापि, उक्त बकाया राशि नियत समय के भीतर चुकाने में असफल रहे हैं, अतः **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** ने सरफासी ऐक्ट, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित तदधीन नियमों के प्रावधान के तहत उसको प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित प्रतिभूत आस्तियों का **कब्जा** ले लिया है :

क्र. सं.	कर्जदारों/ सह–कर्जदारों/ गारंटरों का नाम	बंधक सम्पत्ति का वर्णन	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि (आईएनआर में)	कब्जा की तिथि
1.	**कमल, पूजा**	**मकान–डी–30, सेक्टर एस जय नगर कालोनी पीथमपुर तहसील पीथमपुर जिला धार, सेक्टर एस जय नगर कलोनी पीथमपुर तहसील पीथमपुर जिला धार, पीथमपुर, मध्य प्रदेश–454774, चौहद्दी – पूरब : सम्पत्ति सं. सी–30 सेक्टर–एस, पश्चिम : कालोनी रोड, उत्तर : सम्पत्ति सं. डी–29 सेक्टर–एस, दक्षिण : सम्पत्ति सं. डी31 सेक्टर–एस**	03-12-2024	16,20,575	26-06-2025
2.	**चेतन मालवीया, पूनम मालवीया**	**मकान–174 दक्षिणी भाग, (कंचन विहार), सर्वे नंबर 65/1/2/2, वार्ड नंबर–28, कंचन विहार 2, ग्राम–बागदून, तहसील–पीथमपुर, जिला–धार (म.प्र.), पीथमपुर, मध्य प्रदेश, 454775, चौहद्दी – पूरब : अन्य भूमि, पश्चिम : रोड, उत्तर : प्लॉट नंबर 174 का शेष भाग, दक्षिण : प्लॉट नंबर 175**	03-09-2024	6,25,828	26-06-2025

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अतः एतद्द्वारा कर्जदार/गारंटर और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा उपरिवर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से **कर्जदारों/गारंटरों** तथा **सर्वसाधारण** को सावधान किया जाता है कि उपरि संदर्भित सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों अथवा उसके किसी भी भाग के संबंध में कोई संव्यवहार नहीं करें तथा उक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की उक्त सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में यहां ऊपर वर्णित बकाया राशि, जो पूर्ण भुगतान किए जाने तक उस पर आगे ब्याज के साथ देय होगी, के प्रभाराधीन होगा।

कर्जदार का ध्यान, प्रत्यामूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है।

स्थान : मध्य प्रदेश तिथि : 30–06–2025 **प्राधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड**
